न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 87/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/258

वादी

गोबरराम पुत्र घनरूप

जाति माली

निवासी गांधीपुरा,बालोतरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा।

:–निर्णयः–

दिनांक 05.3.2024

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम चिरढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 268 क्षेत्रफल 0.8976 हैक्टयर व खसरा संख्या 269 क्षेत्रफल 0.8347 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 600/260 क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदार में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी की ओर से क्रय की हुए है। वक्त खरीद के समय घरेलू बोलचाल भाषा में वादी को गोविन्दराम नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री में गोविन्दराम नाम अंकन कर दिया गया,जो अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गोबरराम है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि गोविन्दराम पुत्र घनरूप के स्थान पर सही नाम गोबरराम पुत्र घनरूप दुरुस्त करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये ... प्रतिवादी का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वादी के वाद–पत्र के अनुतोष के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी गोबरराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1 पेनकार्ड प्रति,प्रदर्श 2 वोटरकार्ड प्रति,प्रदर्श 3 ड्राईविंग लाईसेन्स प्रति व प्रदर्श 4 आधारकार्ड प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4 वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम सिरढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 268 क्षेत्रफल 0.8976 हैक्टयर व खसरा संख्या 269 क्षेत्रफल 0.8347 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 600/260 क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का घरेलु बोलचाल भाषा में गोविन्दराम पुत्र धनरूप नाम से पुकारे थे और वक्त वादग्रस्त भूमि क्रय के समय रजिस्ट्री में भी उक्त अशुद्ध नाम की प्रविष्टि कर दी गई। जबकि वादी का वास्तविक नाम गोबरराम है। लेकिन अशुद्ध प्रविष्टि गोविन्दराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक गोबरराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम गोबरराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम गोविन्दराम पुत्र धनरूप के स्थान पर गोबरराम पुत्र धनरूप इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.हमनें वकील वादी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिरढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 268 व 269 कुल क्षेत्रफल 1.7326 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 600/260 क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टयर भूमि वादी की आवप्ती खातेदारी में अवस्थित है विवादित भूमि में वादी का नाम गोविन्दराम पुत्र धनरूप दर्ज हो रखा है। जबकि वादी की ओर से प्रदर्श–1 से 4 यथा–पेनकार्ड प्रति,वोटरकार्ड प्रति,ड्राईविंग लाईसेन्स प्रति व आधारकार्ड प्रति में वादी का नाम गोबरराम पुत्र धनरूप जाति माली इन्द्राज हो रखा है। इससे भी प्रमाणित है कि वादी की वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी वादग्रस्त भूमि में शुद्ध नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। साथ ही पार्षद वार्ड संख्या 30 नगर परिषद बालोतरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 26/30.5.2023 में तस्दीक किया है, कि वादी गोबरराम व गोविदराम एक ही व्यक्ति है,जो मेरे वार्ड में निवास करतें है। इस प्रकार वक्त खरीद रजिस्ट्री में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि होना पाया जाता है। प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन तामीली के उपरांत भी वादी के वादपत्र के संबंध [illegible] ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी के वादपत्र को स्वीकार किए [illegible] एतराज नहीं है,यदि होता तो हस्तगत प्रकरण में वाराजोही कर[illegible] किया गया। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि मे अपना अशुद्ध नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोबरराम दुरूस्त करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत मे वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

-:निर्णय:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 268 व 269 कुल क्षेत्रफल 01.7326 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 600/260 क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि गोविन्दराम पुत्र धनरूप के स्थान पर गोबरराम पुत्र धनरूप दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है,शेष बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 05.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 87 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 258

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गोबरराम पुत्र धनरूप जाति माली निवासी गांधीपुरा,बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–05.3.2024

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 05.03.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 268 व 269 कुल क्षेत्रफल 01.7326 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 600 / 260 क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टयर भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि गोविन्दराम पुत्र धनरूप के स्थान पर गोबरराम पुत्र धनरूप दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 05.03..2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:56 IST
Reason: SelfAttested